ओंकार और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1840/2008)

18 जनवरी, 2012

[न्यायमूर्ति, डॉ. बी. एस. चौहान और टी. एस. ठाकुर]

दंड संहिता, 1860-धारा 302 / 149, 307/149 और 452 -सामान्य उद्देश्य-अपीलार्थियों और पाँच अन्य अभियुक्तगण द्वारा सशस्त्र हमला-पीडब्लू 2 के चाचा की हत्या-पीडब्लू2 के पुत्र व पुत्री के चोटें -अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध घोषित किया- चुनौती दी गई-अभिनिर्धारित कियाः पीडब्लू. 2 ने मामले का पूरी तरह से समर्थन किया-उसकी साक्ष्य की पी. डब्ल्यू. 3 और पीडब्लू 4 द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई-न्यायालय में डॉ. (पीडब्लू. 1) और डॉ. (पी. डब्ल्यू. 7) द्वारा चोट प्रतिवेदन की पुष्टि की गई और वे अभियोजन वृतान्त की पुष्टि करते हैं- एफआईआर घटना के 3 घंटे के भीतर दर्ज की गई थी, हालाँकि पुलिस थाना घटनास्थल से 3 मील की दूरी पर था-अपीलार्थियों को विशेष रूप से नामित किया गया था-अन्य सह-अभियुक्त जो उस गांव के निवासी नहीं थे जहां अपराध कारित किया गया, उनकी विधिवत पहचान परीक्षण पहचान परेड के साथ-साथ न्यायालय में तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाहान द्वारा की गई थी-गवहान ने साक्ष्य

दी है कि एक भी वस्तु नहीं लूटी गई और न ही डकैती करने का कोई प्रयास किया गया, बल्कि यह विशेष रूप से कहा गया है कि सभी हमलावरों/उपद्रवियों ने घोषणा की कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा और सभी को खत्म करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे-सभी हमलावर एक साथ आए और अपराध में भाग लिया-अपराध को मध्य रात्रि में अंजाम दिया गया-सम्पूर्ण साक्ष्य का सामूहिक रूप से अध्ययन करने से यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि हमलावरों का उद्देश्य पीड़ित पक्ष के व्यक्तियों की हत्या करना था और उन्होंने अपराध में भाग लिया था- अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता-अपीलकर्ताओं का अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीडब्लू 2/शिकायतकर्ता के घर में घुसना प्रमाणित हुआ-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि तदनुसार बरकरार रखी गई।

साक्ष्य-गवाह-संबंधित गवाह-अभिनिर्धारितः निकट संबंधी गवाहान के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है -यदि साक्ष्य में, थोड़ी सच्चाई है सत्य का एक घेरा है, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो अपीलकर्ता और पाँच अन्य अभियुक्त एक-दूसरे के साथ मिलकर और एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीडब्लू 2 के घर में घुस गए,अपीलकर्ता देशी पिस्तौल से

लैस थे और अन्य अभियुक्त लाठी, भाला आदि से लैस थे और पीडब्लू 2 के चाचा ('ओ') की मृत्यु और पीडब्लू2 की बेटी ('टी') और बेटे ('सी') के चोटें कारित की। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त को दोषी ठहराया। अपीलकर्ताओं को धारा 302/149; 307/149 व धारा 452 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। याचिका पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सजा बरकरार रखी।

अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि केवल मृतक '0' के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 149 के प्रावधान लागू नहीं हुए और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि एक सामान्य उद्देश्य को निष्पादित करने के हेतुक से विधिविरूद्घ जमाव का गठन किया गया था।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारितः 1. अभियोजन पक्ष ने 3 चक्षुदर्शी गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू. 2 (शिकायतकर्ता) के अनुसार, पीड़ित पक्ष द्वारा इससे पहले कुछ अभियुक्तों के विरूद्घ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए गए थे। एक प्रकरण में, उन्हें दोषसिद्घ घोषित किया गया और एक अन्य प्रकरण में

उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। जहाँ तक इस घटना का संबंध है, पीडब्लू. 2 ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूरा समर्थन किया है। इस गवाह ने गवाही दी कि अभियुक्त बीरा के पास बंदूक थी और अपीलकर्ताओं के पास देसी पिस्तौल थे और अन्य अभियुक्त लाठी और भाला आदि से लैस थे। हमलावरों से खुद को बचाने के लिए, पीडब्लू 2 अपने दूसरे चाचा 'बी' के घर में कूद गया जबकि 'ओ' छत से नीचे कूद गया। अभियुक्त ने 'ओ' के साथ हाथापाई की, जिसको बंदूक की गोली से चोट लगी। अभियुक्त ने "ओ' के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की और जब दरवाज़ा नहीं टूटा तो उन्होंने दरवाज़े पर गोली चलाई और घर के झरोख से गोलियाँ चलाई, जिसके कारण 'सी' और 'टी' घायल हो गए। इस घटना में अभियुक्त 'एमएस' भी घायल हो गया। उसकी साक्ष्य की पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है। [पैरा 7] [1176 डी-जी]

2. यह एक स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि किसी प्रकरण में दिए गए दोषी/अभियुक्त के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निकटतम गवाहान के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। यदि साक्ष्य में थोड़ी सच्चाई है, वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जांच अधिकारी (पी.डब्लू.6) की प्रतिपरीक्षा के

समय किसी अभियुक्त ने उससे यह सवाल पूछा था कि अन्य गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई। [पैरा 7] [1176-एच; 1177-ए-बी]

हिमांशु बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र) **(2011) 2 एस. सी. सी. 36: 2011 (1) एस. सी. आर. 48** और रंजीत सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश **(2011) 4 एससीसी 336: 2010 (14) एस. सी. आर. 133-पर निर्भर।**

3. न्यायालय में डॉ. (पीडब्लू. 1) और डॉ. (पी. डब्ल्यू. 7) द्वारा चोट प्रतिवेदन की पुष्टि की गई और वे अभियोजन वृतान्त की पुष्टि करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त 'एमएस' घायल हो गया, लेकिन इस संबंध में उसकी ओर से कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी। विचारण न्यायालय ने इस पर सही ध्यान दिया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है और घटनास्थल पर 'एमएस' की उपस्थिति और अपराध में उसकी भागीदारी को सिद्घ करता है। 'एमएस' स्वयं यह नहीं बता सकता कि उसे ऐसी चोटें किन परिस्थितियों में लगी। [पैरा 8] [1177-सी-ई]

4. अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि यह अत्यधिक असंभव है कि गवाह असली हमलावरों को बचाकर उन्हें छोड़ देंगे और केवल पुरानी दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को झूठा फंसा देंगे। यदि ऐसा होता, तो अपराध में कम से कम चार अन्य

आरोपियों, विशेषकर 'एमएस', सुरेश, अहमद सईद और ओमवीर को शामिल करने का कोई कारण नहीं होता। यह स्वीकृत है कि एफआईआर घटना के 3 घंटे के भीतर 2:50 बजे तुरंत दर्ज की गई थी। हालाँकि पुलिस थाना घटनास्थल से 3 मील की दूरी पर था। जहां तक अपीलकर्ताओं का सवाल है, उन्हें विशेष रूप से नामित किया गया है। अन्य सह-अभियुक्त जो उस गांव के निवासी नहीं थे जहां अपराध कारित किया गया, उनकी विधिवत पहचान परीक्षण पहचान परेड के साथ-साथ न्यायालय में तीनों चक्षुदर्शी गवाहों द्वारा की गई थी। [पैरा 9] [1177-एफ-एच; 1178-ए]

5. इस कथन में कोई बल नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 149 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था, इस कारण से, यह न्यायालय निर्णयों के सिलसिले में बहुत सतर्क रही है कि जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरूद्घ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, न्यायालय स्पष्ट रूप से साक्ष्यों की जांच करेगी और यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अस्पष्ट है तो बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराने में संकोच करेगी। न्यायालय के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि यदि किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अभियोजन में नहीं है, तो यह आईपीसी की धारा 149 के दूसरे भाग के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि यदि अपराध ऐसा था जैसा सदस्यों की जानकारी में था प्रतिबद्ध होने की संभावना थी। अपराध में शामिल व्यक्तियों की संख्या के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि

उनमें से कितने केवल निष्क्रिय गवाह थे; उनके पास कौन से अस्त्र-शस्त्र थे। चोटों की संख्या और प्रकृति पर भी विचार करना प्रासंगिक है। घटना के समय 'सामान्य वस्तु' भी विकसित हो सकती है। [पैरा 10] [1178 बी-ई]

रामचंद्रन और अन्य बनाम केरल राज्य **(2011) 9 एससीसी 257 ;** चंद्र बिहारी गौतम और अन्य बनाम बिहार राज्य **एआईआर 2002 एस. सी. 1836 और** रमेश बनाम हरियाणा राज्य **एआईआर 2011 एस. सी. 169-पर निर्भर।**

6. गवहान ने साक्ष्य दी है कि एक भी वस्तु नहीं लूटी गई और न ही डकैती करने का कोई प्रयास किया गया, बल्कि यह विशेष रूप से कहा गया है कि सभी हमलावरों/उपद्रवियों ने घोषणा की कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा और सभी को खत्म करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। सभी हमलावर एक साथ आए और उस अपराध में भाग लिया जिसमें 'ओ',मारा गया, 'टी' और 'सी' घायल हो गए। हमलावरों ने घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके इसलिए उन्होंने झरोख से गोली चलाई और इसी कारण 'टी' और 'सी' घायल हो गए। अपराध घटित होने के बाद बड़ी संख्या में व्यक्ति घटना स्थल पर एकत्र हो गये। हमलावर भाग गये। अपराध अर्द्घ रात्रि को अंजाम दिया गया। इसलिए, पूरे साक्ष्य को पढ़ने के बाद सामूहिक रूप से

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमलावरों का उद्देश्य पीड़ित पक्ष के व्यक्तियों की हत्या करना था और उन्होंने अपराध में भाग लिया था। अपीलकर्ताओं के विरूद्घ आरोपों की गंभीरता साबित हुई कि उन्होंने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य को कारित करने के लिए शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया। [पैरा 12,13] [1179-जी-एच; 1180-ए-सी]

प्रकरण विधि संदर्भः

2011 (1) एससीआर 48 पर विश्वास पैरा 7

2010 (14) एससीआर 133 पर विश्वास पैरा 7

(2011) 9 एस. सी. सी. 257 पर विश्वास पैरा 10

ए. आई. आर 2002 एस. सी. 1836 पर विश्वास पैरा 11

ए. आई. आर 2011 एस. सी. 169 पर विश्वास पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1840/2008।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय आपराधिक अपील सं. 1096/ 1982 के द्वारा अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 23.08.2007 से उत्पन्न।

एस. बी. उपाध्याय, शेखर प्रीत झा, पवन किशोर सिंह, विक्रांत भारद्वाज अपीलार्थियों के लिए ।

डी. के. गोस्वामी, अनुव्रत शर्मा अलका सिन्हा प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायामूर्ति डॉ. बी. एस. चौहान, 1. यह अपील 1982 की आपराधिक अपील संख्या 1096 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 23.8.2007 के विरूद्ध दायर की गई है, अपीलकर्ताओं के लिए जिनके द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांकित 16.04.1982 को सेशन विचारण संख्या 277/1980 में धारा 302/149 धारा 452 के साथ पठित धारा 307/सपठित धारा 149 और धारा 452 भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसके बाद 'आई. पी. सी.' कहा जाएगा) के तहत उनकी सजा को बरकरार रखा गया है और धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है; धारा 307/149 के तहत अपराध के लिए सात साल और आईपीसी की धारा 452 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी गई है।

2. इस अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ निम्नानुसार हैं -

क. 23.3.1980 को सुबह 2.50 बजे एक एफ़. आई. आर. पुलिस थाना हरदुवागंज, जिला अलीगढ में दर्ज की गई थी कि दिनांक 22-23/3/1980 को लगभग 12 बजे, जलसुर (पीडब्लू. 2)-शिकायतकर्ता और उसके चाचा ओंकार सिंह (मृतक)-अपने गांव किधारा में अपने घर की छत पर सो रहे थे। अपीलकर्ता अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता के घर आए। शिकायतकर्ता के घर के बाहरी कमरे में एक दुकान चलाने वाला जगदीश अपीलकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों की गतिविधियों की आवाज सुनकर जाग गया और खड़ा हो गया तथा उसने शोर मचा दिया। जलसूर (पीडब्लू. 2) और उसके चाचा ओंकार सिंह (मृतक) भी जाग गए। ओंकार सिंह (मृतक) चबूतरा की ओर से छत से नीचे उतर गया, जबकि जलसूर (पीडब्लू. 2) बगल के अपने चाचा बहोरी के घर में कूद गया और बाहर खुले में आ गया और अपने घर के सामने एक "छप्पर" में आग लगा दी। यह "छप्पर" के जलने से बनी आग की रोशनी में था, तब जलसूर (पीडब्लू. 2) ने आरोपी बीरा, तारा, ओंकार, रति राम और कुछ 7-8 अज्ञात व्यक्तियों को देखा। अपीलार्थी देसी पिस्तौल और अन्य हथियारों से लैस थे, हमलावर लाठी, भाला और अन्य घातक हथियारों से लैस थे। हमलावरों और ओंकार सिंह (मृतक) के बीच हाथापाई हुई और उसके सीने पर गोली लगी और उसकी मौत हो गई। कुछ हमलावर शिकायतकर्ता के

घर में घुस गए और कमरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहने पर, उन्होंने दरवाजों पर गोलियां चला दीं और उनमें से कुछ झरोख के माध्यम से कमरों में प्रवेश कर गए। गोलीबारी में शिकायतकर्ता के बेटे चंद्र बोस और बेटी तारावती घायल हो गये। दबाव बढ़ता देख अपराधियों ने मृतक (ओंकार) को "छप्पर" की आग में धकेल दिया, जिसे शिकायतकर्ता ने आग लगा दी थी।

ख. उक्त एफ़. आई. आर. के आधार पर अनुसंधान शुरू किया गया और आई. ओ. एन. पी. सिंह (पीडब्लू. 6) घटना स्थल पर आए और कथित तौर पर उपद्रवियों द्वारा चलाए गए 12 बोर के कारतुस के सात खाली खोल एकत्र किए। उन्होंने गवाहों के बयान भी दर्ज किए। नक्शा मौका तैयार किया गया। खून से सनी मिट्टी और जले हुए छप्पर की राख का नमूना एकत्र किया गया। घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार हेतु भेजा गया। ओंकार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मोहम्मद शफी, अहमद सईद और सुरेश को 25.3.1980 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को। चार अभियुक्तगण, नामतः ओमवीर, सुरेश, अहमद सईद और मोहम्मद शफी की पहचान परीक्षण परेड आयोजित कराई गई और अभियुक्तगण की पहचान गवाह नामतः रोशन सिंह, शिशु पाल, हुकुम सिंह और जलसुर द्वारा 17.5.1980 को की गई। जांच अधिकारी ने 7

अभियुक्त्गण बीरा, तारा, ओंकार, मोहम्मद शफी, ओमवीर,अहमद सईद और सुरेश के विरूद्ध दिनांक 14.1.1981 को आरोप पत्र दाखिल किया।

ग. अधीनस्थ न्यायालय ने 14.1.1981 को सभी 7 आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 147, 302/149, 307/149 और 452 भा.दं.सं. के तहत आरोप तय किए। जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं और आरोपी बीरा का सवाल है, उनके विरूद्ध आईपीसी की धारा 148 के तहत एक अतिरिक्त आरोप तय किया गया था। प्रकरण को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में जलसुर (पीडब्लू. 2), शिशु पाल (पीडब्लू. 3) और बानी सिंह (पीडब्लू. 4) सहित बड़ी संख्या में गवाहान परीक्षित करवाए।

घ. अभियुक्तगण अर्थात्, बीरा, तारा, ओंकार और ओमवीर से जब दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके बाद दं.प्र.सं. कहा जाता है) की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, तो उन्होंने याचिका दायर की कि उन्हें उनकी पिछली दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था, घटना से 5-6 साल पहले, शिकायतकर्ता जलसुर (पीडब्लू 2) के चाचा शिशुपाल की जान लेने का प्रयास किया गया था और उस मामले में तारा, उसके भाई महाबीर और पिता मंशी को मुकदमे का सामना करना पड़ा और धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और उन्होंने सजा पूरी की। आगे यह कथन किया गया कि तारा, बीरा और ओंकार एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते थे। एक

अन्य घटना के संबंध में, जलसुर (पीडब्लू. 2) ने तारा और महाबीर के विरूद्ध आईपीसी की धारा 395 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।, लेकिन उक्त प्रकरण में दोषमुक्त घोषित हुआ। अन्य अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिपरीक्षा/बचाव में कथन किया कि उनकी पुलिस के साथ दुश्मनी थी और उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

ड़. अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों काे दृष्टिगत रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश दिनांकित 16.4.1982 द्वारा सभी 7 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया तथा एस. टी. प्रकरण सं. 277/ 1980 में ऊपर उल्लिखित सजा सुनाई। व्यथित होकर, सभी 7 आपराधियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1982 की आपराधिक अपील संख्या 1096 दायर की।

च. उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, ओमवीर, अहमद सईद और सुरेश की मृत्यु हो गई और इस प्रकार उनकी अपील का उपशमन हो गया। अपील की सुनवाई के समय, यह स्थापित हो गया था कि घटना की दिनांक बीरा नाबालिग थी और इसलिए, उसकी सजा बरकरार रखी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 की धारा 2 (4) के प्रावधानों के तहत लाभ देते हुए सजा को रद्द कर दिया गया। शेष तीन दोषसिद्ध अर्थात् तारा, ओंकार और मोहम्मद शफी की अपील को विवादित निर्णय के

तहत बर्खास्त कर दिया गया। मोहम्मद शफी ने किसी भी अपील को पसंद नहीं किया।

इसलिए, यह अपील केवल दो दोषसिद्धोंत द्वारा की गई है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री एस. बी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि घायल गवाह, अर्थात्, तारावती और चंद्र बोस की जाँच नहीं की गई है। इसी तरह, स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह, अर्थात् रोशन सिंह और हुकुम सिंह जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति स्वयं जलसुर (पीडब्लू. 2) द्वारा बताई गई थी, की जाँच नहीं की गई थी। मौके पर आरोपियों के आने की आहट सुनकर तुरंत शोर मचाने वाले जगदीश से भी पूछताछ नहीं की गई है। केवल ओंकार सिंह (मृतक) के करीबी रिश्तेदारों की जांच की गई है। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने अपने कब्जे में भौतिक साक्ष्य को रोक लिया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 149 के प्रावधान लागू नहीं होते। अभियोजन पक्ष यह साबित करने पूर्ण रूप से विफल रहा है कि एक सामान्य उद्देश्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से गैरकानूनी सभा का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मुख्य उद्देश्य डकैती करना था न कि ओंकार सिंह (मृतक) की हत्या करना। साक्ष्य में, जलसुर (पीडब्लू. 2)ने अदालत में बयान दिया था कि रतिराम ओंकार सिंह (मृतक) की हत्या में शामिल था और उसका नाम जलसुर (पीडब्लू. 2)

द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी शामिल है, लेकिन उसके विरूद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, श्री डी. के. गोस्वामी, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अर्धरात्रि के पश्चात 3 घंटे की अवधि के भीतर तुरन्त एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी, हालांकि पुलिस थाना घटना स्थल से 3 मील की दूरी पर था। अपीलकर्ताओं काे उनकी भूमिकाओं को समझाते हुए एफआईआर में नामजद किया गया था तथा मकसद भी बताया गया था, तारावती और चंद्र बोस को भी चोटें आई थी। विधि निकट संबंधी गवाहान के साक्ष्य पर निर्भरता को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालाँकि, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे गवाहान की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब एक बार साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि गवाह पीड़ित से निकट संबंध रखता है। मृतक के शरीर के साथ-साथ तारावती, चंद्र बोस और मोहम्मद शफी के शरीर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं तथा उक्त आहतगण अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करते हैं और ऐसी तथ्य व परिस्थितियों में आई. पी. सी. की धारा 149 के प्रावधान को सही तरीके से लागू किया गया है। आहत गवाहान तारावती और चंद्रबोस तथा चश्मदीद गवाहान रोशन सिंह, हुकुम सिंह और जगदीश से पूछताछ न करने का बिन्दु अनुसंधान अधिकारी के

समक्ष प्रतिपरीक्षा में नही रखा गया है जिसके संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते थे। इस प्रकार, उनकी जांच न होने के बिन्दु को पहली बार अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। अपील में गुणवत्ता नहीं होने से यह खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया।

6. इससे पहले कि हम मामले के गुण-दोष पर जायें, पीड़ितों को लगी चोट का उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है।

(क) ओंकार सिंह पुत्र शेर सिंह के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण डॉ. प्रदीप कुमार (पीडब्लू. 7) के द्वारा दिनांक 23.3.1980 को सुबह लगभग 5.15 बजे किया गया और उसके द्वारा परीक्षण करने पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाई गई-

1. बाएं निप्पल के प्रवेश पर बंदूक की गोली का घाव 1 "x 1" x छाती गहरी गुहा, किनारे उल्टे, काला पड़ा/नीलगू निशान और टैटू का निशान घाव के आसपास फेफड़े का हिस्सा जो घाव से निकलता है मौजूद है।

2. बाएँ कंधे के ऊपर खरोंच 3 "x 1">>।

3. दाहिनी कोहनी पर खरोंच 1 "x ½।

4. दाहिने इलियाक रीढ़ क्षेत्र पर खराेंच 2 "x 1">>।

5. बा¡एं इलियाक रीढ़ क्षेत्र पर खरोंच ½" x ½"।

6. दाहिने पैर के ऊपरी भाग पर खरोंच 3 "x 1"।

7. बाएँ पैर के मध्य भाग पर खरोंच ¼ "x ¼"।

8. पीठ की दाहिनी ओर खरोंच 2 "x ।">>।

9. बाईं ओर छाती और पेट के सतही जलन।

आंतरिक परीक्षण में, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, पसलियाँ टूटी हुई पाई गई। दाहिने फेफड़े में 800 मिलीलीटर गहरा खून और 12 छर्रे बरामद हुए। बायां फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और अस्तर के 8 टुकड़े बरामद किए गए। बड़ी आंत में गैसें और मल पदार्थ पाए गए। डाॅक्टर की राय में, मृत्यु सदमे और मृत्यु से पूर्व लगी चोटों के कारण रक्तस्राव के कारण हुई थी और मृत्यु की अवधि ¾ दिन से 1 दिन के भीतर की थी।

(ख) पीएचसी हरदुवागंज के डॉ. डी. पी. सिंह (पीडब्लू. 1) ने 23.3.1980 को दोपहर 1.15 बजे जलसुर (पीडब्लू. 2) की पुत्री तारावती की चोटों का परीक्षण किया व जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईः

1. खरोंचदार गोलाकार गोली का घाव 1/8 "x 1/8" x सिर की मध्य रेखा में खोपड़ी के अग्र भाग पर गहरी मांसपेशी तक।

2. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x मध्य रेखा से दूर खोपड़ी के बायीं ओर गहरी मांसपेशी और बायीं आंख की भौंहे पर 2 ¾ "।

3. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x खोपड़ी के दायीं ओर गहरी मांसपेशी, चोट संख्या 3 के पीछे 1 "।

डॉक्टर की राय में, चोटें साधारण थी और आग्नेयास्त्र से कारित थी और ये आधा दिन पुरानी थी।

(ग) चंद्र बोस पुत्र जलसुर (पीडब्लू 2) का परीक्षण डॉ. डी. पी. सिंह (पीडब्लू. 1) के द्वारा दिनांक 23.3.1980 को दोपहर 1.20 बजे किया गया और उसके द्वारा निम्नलिखित चोटें पाई गई-

1. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x चेहरे की दाहिनी ओर गहरी मांसपेशी, 1 $\frac{1}{2}$ " दाहिने जबड़े के निचले कोण के सामने।

2. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x खोपड़ी के दायीं ओर गहरी मांसपेशी। दाहिने कान के आधार से ऊपर 4 $\frac{1}{2}$ " और मध्य रेखा से दूर 1 $\frac{1}{2}$ "।

3. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x खोपड़ी के बायीं ओर गहरी मांसपेशी। 1/2 "मध्य रेखा से दूर और 2 $\frac{1}{2}$"<< बायीं आंख की भौंहे के ऊपर।

4. छिद्रित गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x खोपड़ी के दायीं ओर गहरी मांसपेशी, चोट संख्या 3 के पीछे 1 "।

सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं और आग्नेयास्त्र से कारित थी और इनकी अवधि आधा दिन पुरानी थी।

(घ) डॉ. डी. पी. सिंह (पीडब्लू. 1) के द्वारा दिनांक 26.3.1980 को सुबह 11.15 बजे मोहम्मद शफी की चोटों का परीक्षण किया गया और उसके द्वारा निम्नलिखित चोटें पाई गई-

1. गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x दाहिने बांह की कलाई के अग्र भाग पर गहरी मांसपेशी तथा दाहिनी कोहिनी के जोड़ के स्तर से नीचे 4 "।

2. कई गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x दाहिनी ऊपरी भुजा के सामने और पार्श्व भाग पर गहरी मांसपेशी, कंधे और कोहनी के जोड़ के बीच 8 "x 5" क्षेत्र मांसपेशियों की गहराई तक।

3. तीन गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x दाहिने कंधे के जोड़ पर प्रत्येक गहरी मांसपेशी के क्षेत्र में 3 $\frac{1}{2}$ x 2 " ।

4. कई गोलाकार घाव 1/8 "x 1/8" x दाहिने निप्पल के ऊपर 9 वीं पसली के निचले हिस्से में गहरी मांसपेशी, संख्या में 5, 3 $\frac{1}{2}$ " से शुरू होने वाली एक रैखिक शैली में विस्तारित, पीछे की मध्य रेखा से दूर 6 1/2 " ।

डॉक्टर की राय में, सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी और आग्नेयास्त्र से कारित थी। इन चोटों की अवधि साढ़े तीन दिन की होना पाई गई जो कि घटना की तारीख के अनुरूप है।

7. अभियोजन पक्ष ने 3 प्रत्यक्षदर्शी गवाहान से पूछताछ की। जलसुर पीडब्लू. 2 (शिकायतकर्ता) के अनुसार, पीड़ित पक्ष ने इससे पहले कुछ अभियुक्तों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। एक प्रकरण में, उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया गया और अन्य प्रकरण में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। जहाँ तक इस घटना का संबंध है, जलसुर पीडब्लू. 2 ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूरा समर्थन किया है। इस गवाह ने साक्ष्य दी कि अभियुक्त बीरा के पास बंदूक थी और अपीलकर्ताओं के पास देसी पिस्तौल थे और अन्य अभियुक्त लाठी और भाला आदि से लैस थे। हमलावरों से खुद को बचाने के लिए, जलसुर पीडब्लू 2 अपने चाचा के घर में कूद गया और ओंकार सिंह छत से नीचे उतर गया। अभियुक्त ने ओंकार सिंह के साथ हाथापाई की, जिसको बंदूक की गोली से चोट लगी। अभियुक्त ने ओंकार सिंह के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की और जब दरवाज़ा नहीं टूटा तो उन्होंने दरवाज़े पर गोली चलाई और घर के झरोख से गोलियाँ चलाई, जिसके कारण चंद्र बोस और तारावती, जलसुर (पीडब्लू. 2) के पुत्र और पुत्री आग से घायल हो गए। इस घटना में अभियुक्त मोहम्मद शफी भी घायल हो गया। उसकी साक्ष्य की शिशुपाल पी. डब्ल्यू. 3 और बानी सिंह पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई है।

यह एक स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि किसी प्रकरण में दिए गए दोषी/अभियुक्त के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निकटतम गवाहान के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

यदि साक्ष्य में थोड़ी सच्चाई है, वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। (माध्यमः हिमांशु बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र), (2011) 2 एस. सी. सी. 36; और रंजीत सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 4 एस. सी. सी. 336)।

अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी (पी.डब्लू.6) की प्रतिपरीक्षा के समय किसी अभियुक्त ने उससे यह सवाल पूछा था कि अन्य गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई।

8. न्यायालय में ऊपर उल्लिखित चोट प्रतिवेदन की डॉ. (पीडब्लू. 1) और डॉ. (पी. डब्ल्यू. 7) द्वारा पुष्टि की गई और वे अभियोजन वृतान्त की पुष्टि करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त 'एमएस' घायल हो गया, लेकिन इस संबंध में उसकी ओर से कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी। विचारण न्यायालय ने इस पर सही ध्यान दिया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है और घटनास्थल पर 'एमएस' की उपस्थिति और अपराध में उसकी भागीदारी को सिद्ध करता है। 'एमएस' स्वयं यह नहीं बता सकता कि उसे ऐसी चोटें किन परिस्थितियों में लगी थी।

9. अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि यह अत्यधिक असंभव है कि गवाह असली हमलावरों को बचाकर उन्हें छोड़ देंगे और

केवल पुरानी दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को झूठा फंसा देंगे। यदि ऐसा होता, तो अपराध में कम से कम चार अन्य आरोपियों, विशेषकर 'एमएस', सुरेश, अहमद सईद और ओमवीर को शामिल करने का कोई कारण नहीं होता।

यह स्वीकृत है कि उसने एफआईआर घटना के 3 घंटे के भीतर 2:50 बजे तुरंत दर्ज की थी। हालाँकि पुलिस थाना घटनास्थल से 3 मील की दूरी पर था। जहां तक उपस्थित अपीलकर्ताओं का सवाल है, उन्हें विशेष रूप से नामित किया गया है।

अन्य सह-अभियुक्त जो उस गांव के निवासी नहीं थे जहां अपराध कारित किया गया, उनकी विधिवत पहचान परीक्षण पहचान परेड के साथ-साथ न्यायालय में तीनों चक्षुदर्शी गवाहों द्वारा की गई थी।

10. हम श्री उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए गए समर्पण में कोई बल नहीं पाते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 149 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था, इस कारण से, यह न्यायालय निर्णयों के सिलसिले में बहुत सतर्क रही है कि जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरूद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं, न्यायालय स्पष्ट रूप से साक्ष्यों की जांच करेगी और यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अस्पष्ट है तो बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराने में संकोच करेगी। न्यायालय के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि यदि

सामान्य उद्देश्य का किया गया अपराध प्रत्यक्ष अभियोजन में नहीं है, तो यह आईपीसी की धारा 149 के दूसरे भाग के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि यदि अपराध ऐसा था जैसा सदस्यों की जानकारी में था प्रतिबद्ध होने की संभावना थी। अपराध में शामिल व्यक्तियों की संख्या के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उनमें से कितने केवल निष्क्रिय थे; उनके पास कौन से अस्त्र-शस्त्र थे। चोटों की संख्या और प्रकृति पर भी विचार करना प्रासंगिक है। घटना के समय 'सामान्य वस्तु' भी विकसित हो सकती है।

(देखेः रामचंद्रन और अन्य बनाम केरल राज्य (2011) 9 एससीसी 257); चंद्र बिहारी गौतम एआईआर 2002 एस. सी. 1836 और रमेश बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2011 एस. सी. 169-पर निर्भर।

11. चंद्र बिहारी गौतम और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2002 एस. सी. 1836, इसी तरह के प्रकरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया किः

" धारा 149 के दो भाग हैं। पहला भाग विधिविरूद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए अपराध करने से संबंधित है और दूसरा भाग विधिविरूद्ध जमाव के उन सदस्यों के दायित्व से संबंधित है जो जानते थे कि जिस उद्देश्य के लिए वे एकत्र हुए थे, उसके अग्रसरण में अपराध किए जाने की संभावना थी। भले

ही विधिविरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल नवलेश सिंह को पकड़ने का था, यह तथ्य कि आरोपी व्यक्तियों ने रात्रि के अंधेरे में शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया था और बंदूकों सहित घातक हथियारों से लैस थे, और इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम संदेह से परे यह साबित करते हैं कि वे जानते थे कि कथित प्रारंभिक सामान्य वस्तु के अभियोजन में हत्याएं किए जाने की संभावना थी। प्रारंभिक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में परिणामी कार्रवाई का ज्ञान विधिविरूद्ध जमाव के सदस्यों को 'ऐसे जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के कारित करने के लिए दोषी ठहराने के लिए धारा 149 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकरण में अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव का गठन करने का आरोप साबित हुआ है, जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या और आगजनी करना था और उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने बंदूकों से लैस होकर अपीलकर्ता के घर पर हमला किया और अपराध कारित किया। इसलिए, अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, आरोपी व्यक्तियों ने विधिविरूद्ध जमाव का गठन किया था, जिसका सामान्य उद्देश्य शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करना था और उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में छः लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह भी साबित हुआ कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के परिवार को खत्म करने के उद्देश्य से कुछ चरमपंथियों की सेवाएं ली थीं।

(यह भी देखेः रमेश बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2011 एससी 169)

12. गवहान ने साक्ष्य दी है कि एक भी वस्तु नहीं लूटी गई और न ही डकैती करने का कोई प्रयास किया गया, बल्कि यह विशेष रूप से कहा गया है कि सभी हमलावरों/उपद्रवियों ने घोषणा की कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा तथा सभी को खत्म करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। सभी हमलावर एक साथ आए और उस अपराध में भाग लिया जिसमें ओंकार सिंह मारा गया, तारावती और चंद्र बोस घायल हो गए। हमलावरों ने घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके इसलिए उन्होंने झरोख से गोली चलाई और इसी कारण तारावती और चंद्र बोस घायल हो गए। अपराध घटित होने के बाद बड़ी संख्या में व्यक्ति घटना स्थल पर एकत्र हो गये। हमलावर भाग गये। अपराध अर्द्ध रात्रि को अंजाम दिया गया। इसलिए, पूरे साक्ष्य को पढ़ने के बाद सामूहिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमलावरों का उद्देश्य पीड़ित पक्ष के व्यक्तियों की हत्या करना था और उन्होंने अपराध में भाग लिया था।

13. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता साबित हुई कि उन्होंने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया।

14. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, हम उक्त अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अपील में गुणवत्ता का अभाव है और तदनुसार, खारिज की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साजिद हुसैन आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।